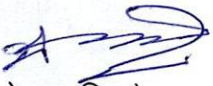


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

जनपद न्यायालय परिसर मेरठ में स्थित शेष 22 दुकानों जिसमें स्टेशनरी, फोटोस्टेट, जलपान, भोजन, फलों की चाट, पान इत्यादि का कार्य किया जा सकता है, के स्थान की खुली बोली पद्धति से नीलामी दिनांक 10.04.2025 को प्रातः 10:30 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार में होगी। बोली भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धरोहर धनराशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में देय हो, को कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 10.04.2025 को समय प्रातः 10:30 तक करानी होगी। उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली की स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी, नीलामी की शर्तों के अनुसार जमा करनी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती हैं।


(चन्द्रशेखर मिश्र)
सदस्य, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश,
(ई0सी0 एक्ट), मेरठ


(ब्रजेश मिश्र)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश
न्या0सं0-09, मेरठ


(अचल नारायण सकलानी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-01, मेरठ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

- 1- नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।
- 2- नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।
- 3- नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 4- नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- 5- कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट व जनपद न्यायालय, मेरठ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।